सं. 1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: मार्च 31, 2022

सेवा में,

पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
पेंशन संवितरण बैंकों के सभी सीपीपीसी

विषय: जीवन-पर्यंत बकायों के संदाय के लिए पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 10.09.1983 (अनुबंध-I) को अधिसूचित पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अनुसार ऐसे पेंशनभोगी जो इस नियमावली के अधिसूचित होने से पूर्व सेवानिवृत हुए हैं, उन्हें संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को नामनिर्देशन जमा करना था। प्रत्येक ऐसा कर्मचारी जो इस नियमावली के अधिसूचित होने के पश्चात् सेवानिवृत हुआ है/होगा, उसके लिए उस कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को, जहां से वह सेवानिवृत हुआ है/हो रहा है, प्रपत्र 'क' तीन प्रति में नामनिर्देशन जमा करना अपेक्षित था/है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रपत्र 'क' में नामनिर्देशन की सत्यापित प्रतिलिपि पेंशनभोगी को वापस करना अपेक्षित है। पेंशन संदाय आदेश के साथ नामनिर्देशन की तीसरी प्रति पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वेतन और लेखा अधिकारी/केंद्रीय वेतन और लेखा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

2. पेंशनभोगी, पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रपत्र 'क' तीन प्रति में जमा करा कर नामनिर्देशन (नामनिर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, या अन्यथा) में परिवर्तन कर सकता है। पेंशन संवितरण प्राधिकारी नामनिर्देशन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर नामनिर्देशन की सत्यापित दूसरी प्रति पेंशनभोगी को वापस करेगा। तीसरी प्रति उस विभाग के, जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ, लेखा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी और नामनिर्देशन की मूल प्रति पेंशन संवितरण प्राधिकारी के पास रखी जाएगी। यदि पेंशनभोगी की मृत्यु के उपरांत पेंशन की कोई बकाया राशि होती है, तो ऐसे पेंशन बकायों को उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा, जिसके पक्ष में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन उपलब्ध है।

3. इस विभाग में कुछ पेंशनभोगियों/पेंशनभोगी संघों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ज्यादातर मामलों में, जब पेंशनभोगी पेंशन संवितरण प्राधिकारी(पीडीए) को नामनिर्देशन जमा करता है, बैंक कर्मी इसे जमा करने में आनाकानी करते हैं क्योंकि वे इस नियम से अवगत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यदि नामनिर्देशन बैंक द्वारा स्वीकार किया जाता है, पेंशनभोगी इसे सुरक्षित रखने और आवश्यकतानुसार अभिप्राप्त करने के बारे में अनभिज्ञ हैं क्योंकि वह इसके बारे में निश्चित नहीं हैं कि इसे बैंक के प्रणाली में फीड किया गया है।

4. इस विभाग में मामले की जांच की गई। पेंशन के आजीवन बकायों के लिए नामनिर्देशन की प्रस्तुति और पावती की प्रक्रिया पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 में अच्छी तरह परिभाषित है। सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन कागजात भरते समय प्रपत्र 'क' में पेंशन बकायों के लिए नामनिर्देशन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह नामनिर्देशन इसके पश्चात पीपीओ सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रेषित किया जाता है।

5. अधिकांश मामलों में, नामनिर्देशन की अनुपलब्धता की समस्या बैंकों द्वारा नामनिर्देशनों का भलीभांति रखरखाव नहीं करने के कारण होती है, क्योंकि बैंक द्वारा नामनिर्देशनों का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया होता। समस्या तब भी उत्पन्न हो सकती है जब नामनिर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु होने के कारण या किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्ति के समय जमा किया गया नामनिर्देशन अमान्य हो जाता है और पेंशनभोगी प्रपत्र 'क' में बैंक को नया नामनिर्देशन जमा नहीं कर पाता या बैंक शाखा में बैंक कर्मी अज्ञानतावश नामनिर्देशन स्वीकार नहीं करते।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंकों को पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन जमा किए गए पेंशनभोगियों के नामनिर्देशनों का रखरखाव करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाता है। संक्षेप में, इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंकों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:

<u>मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से प्रपत्र 'क' में नामनिर्देशन तीन प्रतियों में प्राप्त करें। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी से नामनिर्देशन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को नामनिर्देशन की विधिवत सत्यापित प्रति पावती के रूप में कर्मचारी को वापस करनी होगी।
ii. नामनिर्देशन प्रपत्र की तीसरी प्रति में नामनिर्देशन की स्वीकृति चिपकाएं और पेंशन संदाय आदेश के साथ सीपीएओ/पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आगे प्रेषित करने के लिए इसे पेंशन कागजात/पेंशन मामले के साथ लेखा अधिकारी को अग्रेषित करें।

<u>लेखा अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. पेंशन संदाय आदेश के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए गए नामनिर्देशन प्रपत्र की तीन प्रतियां, पेंशन संदाय आदेश/विशेष मुहर प्राधिकार के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आगे प्रेषित करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को अग्रेषित करें।

<u>केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. पेंशन संदाय आदेश/विशेष मुहर प्राधिकार के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक को पेंशन संदाय आदेश के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए नामनिर्देशन फॉर्म की तीसरी प्रति अग्रेषित करे।

<u>पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. लेखा अधिकारी/सीपीएओ से प्राप्त पेंशनभोगी के नामनिर्देशन की तीसरी प्रति को अभिलेख के लिए सुरक्षित रखें।
ii. लेखा कार्यालयों/सीपीएओ से प्राप्त नामनिर्देशनों की बाबत अपनी प्रणाली में उचित रिकॉर्ड रखें।
iii. सभी पेंशनभोगियों की बाबत पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की समीक्षा करें। यदि किसी पेंशनभोगी की बाबत पीडीए/बैंक के रिकॉर्ड में नामनिर्देशन उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित पेंशनभोगी को पीडीए/बैंक द्वारा उसे तुरंत प्रपत्र 'क' में जमा करने की सलाह दी जाए।
iv. पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के प्रपत्र 'क' (तीन प्रतियों में) में पेंशनभोगी से मौजूदा नामनिर्देशन में किए किसी भी संशोधन/नए नामनिर्देशन को स्वीकार करें और पेंशनभोगी को नामनिर्देशन की विधिवत सत्यापित प्रति नामनिर्देशन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर वापस करें।
v. नामनिर्देशन की तीसरी प्रति उस विभाग के सीपीएओ/लेखा अधिकारी को भेजें जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे और नामनिर्देशन की मूल प्रति रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखें।

vi. पेंशनभोगियों के साथ संव्यवहार करने वाले कर्मचारियों को प्रपत्र 'क' में पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किए मौजूदा नामनिर्देशन में किसी संशोधन या नए नामनिर्देशन को स्वीकार करने का निर्देश दें।

vii. पेंशनभोगियों से प्राप्त नए नामनिर्देशनों/संशोधनों के संबंध में उनकी प्रणाली में उचित रिकॉर्ड रखें।

viii. पेंशन सेवा पोर्टल या उनके द्वारा अनुरक्षित किसी अन्य समान पोर्टल में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की स्थिति दर्शाएं।

ix. पेंशनभोगियों को उनके द्वारा जारी मासिक पेंशन पर्चियों में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की स्थिति दर्शाएं।

7. उपरोक्त निर्देशों को सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से अनुपालन के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया जाए।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

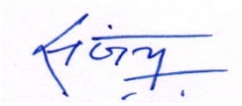

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव
फोन: 24635979

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. लेखा महानियंत्रक/केंद्रीय वेतन और लेखा कार्यालय
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/महालेखापरीक्षक
4. एनआईसी, विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु